कार्यालय जिलाधिकारी, हमीरपुर

(खनिज अनुभाग)

संख्या– 1829/खनिज–ई–टेण्टर/2025 दिनांक– 30/10/,2025

ई–निविदा आमन्त्रण सूचना :–

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि संयुक्त जांच दिनांक–16.10.2025 के अनुसार तहसील सरीला स्थित ग्राम भेड़ी डाड़ा के गाटा संख्या–541/67 रकबा–2.215 हे0 में बालू/मौरम का भण्डारण पाया गया है, जिसे शासनादेश संख्या–2595/86–2018–12 (सामा0)/2018 दिनांक–03.12.2018 में दिये गये निर्देशानुसार निस्तारण हेतु राजस्व हित में निम्न विवरण के अनुसार अल्प अवधि के लिये ई–निविदा आमंत्रित की जाती है :–

क्र0सं0	भण्डारण स्थल का विवरण	खनिज का नाम	भण्डारित खनिज की मात्रा (घन मीटर)	भण्डारित खनिज का मूल्य (प्रति घन मीटर)	भण्डारित खनिज का न्यूनतम आरक्षित मूल्य (रु0 में)	अर्नेष्ट मनी (कॉलम–6 में अंकित सकल धनराशि का 25 प्रतिशत रु0 में)	अवधि जिसमें खनिज की निकासी की जायेगी।
1	2	3	4	5	6	7	8
1	तहसील सरीला ग्राम भेड़ी डाड़ा गाटा संख्या–541/67 रकबा–2.215 हे0	बालू/मौरम	3000	750.00	22,50,000.00	5,62,500.00	01 माह

उक्त ई–निविदा दिनांक–17.11.2025 को पूर्वान्ह 10.00 बजे से दिनांक–21.11.2025 को अपरान्ह 05.00 बजे तक पोर्टल करने के उपरान्त खनन कार्यालय, हमीरपुर में बन्द लिफाफे में प्राप्त की जायेगी, जिसे दिनांक–22.11.2025 को दोपहर 03.00 बजे गठित समिति के समक्ष जिला सूचना विज्ञान केन्द्र (NIC) हमीरपुर में खोली जायेगी।

शर्ते :–

1– (i) टेण्डर प्राप्त करने की विनिर्दिष्ट अवधि में जैसा की घोषणा में दी गयी है, इच्छुक एवं पात्र व्यक्ति मुहर बन्द **शीर्षक–"A"** लिफाफे में तकनीकी बिड के साथ स्वप्रमाणित निम्न अभिलेख/प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा :–

क. निर्धारित ई–निविदा फार्म, जो किसी भी कार्य दिवस में खनन कार्यालय से निःशुल्क प्राप्त की जा सकती है, में आवेदक का नाम व पता आदि का विवरण के साथ आवेदन पत्र शुल्क रु0–15,000.00 (अप्रतिदेय Non Refundable) का बैंक ड्राफ्ट एवं अर्नेस्टमनी से सम्बन्धित धनराशि का बैंक ड्राफ्ट की मूल प्रति, जो जिलाधिकारी, हमीरपुर के पक्ष में देय होगा। आवेदन शुल्क रु0–15,000/– ट्रेजरी चालान के माध्यम से भी जमा किया जा सकता है।

ख. आवेदक का इस आशय का शपथ पत्र कि उसके विरुद्ध को आपराधिक वाद लम्बित नही है, आधार कार्ड तथा पैन कार्ड एवं कम्पनी के मामले में निदेशक का DIN व कम्पनी का पैन कार्ड तथा सम्बन्धित जिले के जिलाधिकारी अथवा

......2.....

प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी किया गया खनन बकाया न होने का अदेयता प्रमाण पत्र। जहां आवेदक राज्य के भीतर कोई खनिज परिहार धारित नही करता है, वहां इस आशय का शपथ पत्र।

(ii) दूसरे मोहर बन्द लिफाफे **शीर्षक–"B"** में फाइनेंशियल बिड निर्धारित प्रारुप पर (जो किसी भी कार्य दिवस में खनन कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है) प्रस्तुत की जायेगी।

(iii) ई–निविदा पोर्टल पर अपलोड करने के उपरान्त **"A"** एवं **"B"** लिफाफे एक बड़े लिफाफे में सील कर प्रस्तुत किया जायेगा।

2– जिस निविदादाता द्वारा तकनीकी बिड के साथ वांछित अभिलेख व बैंक ड्राफ्ट प्रस्तुत नही की जाती है, तो उसके द्वारा दी गयी निविदा पर विचार नही किया जायेगा तथा फाइनेंशियल बिड नही खोला जायेगा। बैंक ड्राफ्ट के पीछे बिडर/फर्म का नाम एवं बिडर का मोबाइल नम्बर अंकित करना अनिवार्य होगा।

3– निविदादाता द्वारा दी जाने वाली निविदा धनराशि, जो ऊपर लिखित कॉलम–6 में अंकित है, से कम बिड/बोली स्वीकार नही की जायेगी।

4– भण्डारित खनिज के लिये दी जाने वाली सर्वोच्च निविदा धनराशि के निविदाकर्ता का चयन उस क्षेत्र में भण्डारित खनिज की निकासी के लिये किया जायेगा।

5– आवश्यक अभिलेख एवं अन्य विस्तृत जानकारी किसी भी कार्य दिवस में खनिज कार्यालय, हमीरपुर से प्राप्त की जा सकती है।

6– निविदा में निम्नलिखित व्यक्ति/फर्म/कम्पनी भाग नही ले सकते है :–

क. जो भारतीय राष्ट्रिक नही है।

ख. जिसके विरुद्ध खनिज देय बकाया है।

ग. जिसने अपने आधार कार्ड की प्रति प्रस्तुत न की हो।

घ. जिसका नाम काली सूची में दर्ज हो।

ड़ फर्म/कम्पनी के मामले में जिसने पैन कार्ड प्रस्तुत न किया हो।

7– सर्वोच्च/सफल निविदादाता को छोड़कर शेष निविदादाताओं द्वारा जमा अर्नेष्ट मनी को वापस कर दी जायेगी।

8– सर्वोच्च/सफल निविदादाता द्वारा निविदा में दी गयी सर्वोच्च धनराशि में से अग्रिम के रुप में 25 प्रतिशत जमा अर्नेष्टमनी की धनराशि को समायोजित करते हुये शेष धनराशि स्वीकृति आदेश मिलने के दो कार्य दिवसों के अन्दर बैंक ड्राफ्ट/कोषागार चालान के माध्यम से जमा करना अनिवार्य होगा।

9– सर्वोच्च/सफल निविदादाता, यदि स्वीकृति आदेश में इंगित धनराशि को निर्धारित समयावधि में जमा करने में असफल होता है, तो उसके द्वारा जमा की गयी अर्नेष्टमनी की धनराशि को जब्त कर ली जायेगी और उसके द्वारा इस सम्बन्ध में कोई शिकायत अथवा प्रत्यावेदन विचार योग्य नही होगा।

10– निविदादाता द्वारा राज्य सरकार अथवा केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित कर एवं शुल्क यथा सम्पूर्ण रायल्टी का 2.04 प्रतिशत आयकर (टी0डी0एस0), सम्पूर्ण रायल्टी के सापेक्ष नियमानुसार देय डी0एम0एफ0 की धनराशि जमा करना अनिवार्य होगा।

......3......

11– भण्डारित खनिज बालू/मौरम को निविदा प्रमाणी के माध्यम से निर्धारित अवधि में हटाने के लिये स्वीकृत किये जायेगें। निविदा स्वीकृति की अवधि अथवा खनिज की मात्रा हटा लिये जाने तक, जो भी पहले समाप्त हो, तक के लिये वैध मानी जायेगी।

12– भण्डारण स्थल से खनिज की निकासी कार्यालय द्वारा निर्गत परिवहन प्रपत्र के आधार पर किया जायेगा।

13– भण्डारण के निस्तारण हेतु निविदा के माध्यम से प्राप्त अनुमति की आड़ में यदि किसी अन्य स्थान से बालू/मौरम का खनन किया जाना पाया जाता है, तब यह अनुमति तत्काल निरस्त कर दी जायेगी।

अन्य शर्ते :–

1. ई–निविदा में भाग लेने से पूर्व क्षेत्र में खनिज की उपलब्धता एवं भण्डारित स्थल के लिये पहुँच मार्ग आदि के सम्बन्ध में मौके का निरीक्षण कर बिडर स्वयं आश्वस्त हो लें। निविदा में भाग लेने के पश्चात् इस सम्बन्ध में किसी प्रकार का दावा स्वीकार नही किया जायेगा।
2. निविदादाता मौरम के परिवहन हेतु प्रत्येक खनिज वाहन को वैध परिवहन प्रपत्र विवरण सहित जारी करेगा। उक्त का अनुपालन न करने की दशा में नियमानुसार शास्ति का भागी होगा।
3. निविदादाता ऐसी रीति से खनिज का परिवहन करेगा, जिसे कोई सड़क, सार्वजनिक मार्ग, भवन, भू–गृहदि, सार्वजनिक भू–स्थल या सार्वजनिक सम्पत्ति पर बाधा न पड़े, न उसे क्षति पहुँचे।
4. निविदादाता परिवहन किये गये खनिज का लेखा–जोखा रखेगा और एतदर्थ प्रतिनियुक्ति प्राधिकारी को ऐसे लेखों का निरीक्षण करने की अनुमति देगा।
5. निविदादाता को समय–समय पर शासन/खनन निदेशालय/जिला प्रशासन द्वारा जो भी निर्देश/आदेश नियमानुसार दिये जायेगें, उसका अनुपालन किया जाना अनिवार्य होगा।
6. ई–निविदा बिना सूचना/कारण बताये निरस्त करने का अधिकार जिलाधिकारी के पास सुरक्षित रहेगा।
7. मा0 न्यायालयों द्वारा पारित आदेशों का अनुपालन करना अनिवार्य होगा।

(धनश्याम मीना)
जिलाधिकारी,
हमीरपुर।

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– सचिव, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
2– निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0 खनिज भवन, लखनऊ।
3– निदेशक, सूचना विभाग, उ0प्र0 लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि विज्ञप्ति को व्यापक प्रचार–प्रसार वाले कम से कम दो दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित कराने का कष्ट करें।
4– समस्त उपजिलाधिकारी, जनपद हमीरपुर।
5– समस्त तहसीलदार जनपद–हमीरपुर को व्यापक प्रचार–प्रसार हेतु।
6– जिला सूचना विज्ञान अधिकारी (NIC) हमीरपुर को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
7– नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।

जिलाधिकारी,
हमीरपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by VIKAS SINGH PARMAR
Date: 2025.11.01 16:46:52 IST
Location: Uttar Pradesh-UP